



वित्त विभाग

Finance Department, Govt. Of Bihar



Nitish Kumar
Hon'ble Chief Minister.

- ❖ **गृह निर्माण ऋण :-** राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से गृह निर्माण ऋण उपलब्ध कराने हेतु M.O.U. पर हस्ताक्षर हुए हैं । इसके अनुसार राज्य सरकार के सेवाकर्मियों आय के आधार पर 30.00 लाख रुपये तक के गृह निर्माण ऋण बेस रेट पर प्राप्त कर सकेंगे जिसमें राज्य सरकार गारंटर के रूप में रहेगी । बैंक से ऋण की सुविधा उपलब्ध होने से राज्य कर्मियों किसी भी जिले में जहाँ वे पदस्थापित हैं वहीं से ऋण ले सकेंगे । इसका विस्तार अन्य बैंकों एवं वाहन ऋण पर भी किया जा रहा है ।
- ❖ बैंकिंग सुविधा का विस्तार करने एवं पर्यवेक्षण रखने हेतु प्रत्येक जिला में वरीय उप-समाहर्ता, बैंकिंग की नियुक्ति की गयी है । 1727 ग्रामों, जिनकी आबादी 5000 से उपर है, में बैंकों की शाखाएं अथवा ultra small branch खोले जाएंगे । 9213 ग्राम जिनकी आबादी 2000 से अधिक है, में BC/BF मॉडल के आधार पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी